

मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई, 2013

क्रमांक एफ 16-14/2013/सात/शा.2ए - राज्य सरकार एतद्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक 1 के अंतर्गत चहुँमुखी विकास के लिए निजी पूँजी निवेश के मामलों में सरकारी दखल रहित भूमि के आवंटन के लिए नीति जारी करती है :-

1. राज्य सरकार द्वारा निर्णय किया गया है कि प्रदेश के चहुँमुखी विकास के लिए औद्योगिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास आदि क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित कर प्रदेश में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ रोजगार के वृहद् अवसर उपलब्ध कराने हेतु सभी क्षेत्रों में कार्य किया जाना आवश्यक है। निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निरन्तर राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत है। यह अनुभव किया जा रहा है कि निजी पूँजी निवेश के माध्यम से राज्य के विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से निवेशकों को किंचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना आवश्यक है। ऐसी सुविधाओं में सबसे महत्वपूर्ण और मूलमूल सुविधा आवेदक/निवेशक/उद्यमी/कम्पनी/उद्योग (जिन्हें इसमें इसके आगे निवेशक कहा गया है) को उनके लिए न्यूनतम आवश्यक शासकीय भूमि है।

2. पूँजी निवेश में आने वाले निवेशक के लिए भूमि की आवश्यकता प्रमुख होती है। भूमि की यह आवश्यकता संस्पर्शी (contiguous) एवं एकचक (in one piece) की रहती है। उपरोक्त एकचक में कई बार आवश्यकता के अनुरूप सरकारी भूमि स्थित होने से बंटन की आवश्यकता हो जाती है। अतः राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आवश्यक सरकारी भूमि उपलब्ध कराए जाने के लिए एक नीति आवश्यक है।

3.(1) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा निजी पूँजी निवेश आकर्षित करने के लिए समय-समय पर विभागीय नीतियां जारी की गयी हैं,- उद्योग संवर्धन नीति, पर्यटन नीति, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास नीति, भण्डारण एवं लॉजिस्टिक नीति, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश नीति, कृषि व्यापार तथा खाद्य प्रसंस्करण नीति, ऊर्जा नीति, गैर पारम्परिक ऊर्जा नीति, हेल्थ कंयर पॉलिसी आदि। इन नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिये निवेशकों की प्रस्तावित परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि

  
30/5/13

की उपलब्धता अनिवार्य होती है। राज्य की विभिन्न विभागों की नीतियों में निवेशकों को न्यूनतम आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने तथा भूमि आबंटन के मामलों में दी जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।

3.(2) राज्य की तत्समय प्रभावशील विभिन्न विभागीय नीतियों के अंतर्गत निवेशकों को भूमि आबंटन के मामलों में दी जाने वाली सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शासकीय भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है। अभी तक ऐसे मामलों में भूमि आबंटन के लिए राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 1 में विहित प्रक्रिया एवं विभिन्न अवसरों पर तत्संबंधी जारी किए गये परिपत्रों के माध्यम से भूमि आबंटन किया जाता रहा है। इसी क्रम में राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 6-53/ 2011/सात/नजूल, दिनांक 08.08.2011 द्वारा भूमि आबंटन के लिए प्रक्रिया विहित की गई। जिसके अनुसार विभिन्न विभागीय नीतियों के अंतर्गत ऐसे मामलों में राजस्व विभाग द्वारा ऐसी भूमि संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने तथा संबंधित विभाग द्वारा निवेशक को उनकी अपनी नीति के अनुसरण में भूमि आबंटन करने की व्यवस्था की गई थी।

3.(3) राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 6-53/2011/सात/नजूल दिनांक 08.08.2011 को अतिष्ठित करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास केंद्रों के भीतर तथा बाहर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क (आई.टी.पार्क) में स्थित शासकीय भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-8/2012/56 दिनांक 23 मार्च, 2013 में विहित भूमि आबंटन की प्रक्रिया का पालन करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आवश्यक भूमि यथास्थिति वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग को तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को संबंधित विभाग द्वारा मांग किए जाने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड चार क्रमांक 1 की कडिका 36 का पालन करते हुए हस्तांतरित की जाएगी।

3.(4) इस प्रकार मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम, 2008 के अंतर्गत औद्योगिक विकास केंद्रों के भीतर तथा बाहर वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी पार्क (आई.टी.पार्क) में स्थित शासकीय भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-8/2012/56 दिनांक 23

  
30/5/13

मार्च, 2013 व. अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निवेशकों को भूमि आबंटन के मामलों को छोड़कर राज्य की विभिन्न नीतियों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं के अनुक्रम में भूमि आबंटन के लिए इस परिपत्र के द्वारा प्रक्रिया विहित की जाती है।

4.(1) राज्य के नगरीय तथा नगरेत्तर क्षेत्रों में स्थित ऐसी समस्त दखलरहित भूमि जो किसी ग्राम में की आबादी या सेवाभूमि नहीं है या किसी भूमिस्वामी अथवा कृषक या सरकारी पट्टेदार द्वारा धारित भूमि से भिन्न है और कृषिभिन्न प्रयोजन के लिए आबंटन योग्य भूमि है, के विस्तृत विवरण, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश द्वारा उनके कार्यालय के वेबसाइट में प्रकाशित किये जाएंगे। इन विवरणों में भूमि की नोईयत, विकास योजना (मास्टर प्लान) में उल्लेखित भूमि उपयोग यदि कोई निर्धारित है, और यदि एक से अधिक प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग किया जा सकता है तो सभी अनुज्ञेय उपयोग का उल्लेख भी किया जाएगा।

4.(2) इस प्रकार निवेशकों द्वारा शासकीय भूमि की उपलब्धता की जानकारी सुगमता से प्राप्त की जा सकेगी। वेबसाइट पर उपलब्ध उक्त जानकारी को इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए 'लैण्ड बैंक' कहा जाएगा। लैण्ड बैंक में केवल आबंटन योग्य दखल रहित सरकारी भूमियां प्रदर्शित की जाएगी। लैण्ड बैंक में जिन भूमियों का आबंटन नहीं किया जा सकता, उन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।

4.(3) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त प्रत्येक तीन माह के अन्तराल पर वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को अद्यतन करते हुए प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे। लैण्ड बैंक में प्रकाशित भूमियों में से यदि किसी भूमि के आबंटन का निर्णय लिया जाता है तो आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त आबंटन आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक माह के भीतर वेबसाइट पर प्रकाशित लैण्ड बैंक में प्रविष्टि अंकित कराएंगे।

**स्पष्टीकरण-** आबंटन योग्य भूमि से तात्पर्य है ऐसी भूमि जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं है तथा अतिक्रमणग्रस्त नहीं है। आबंटन योग्य की श्रेणी में ऐसी भूमियां भी नहीं रखी जाएगी जिन्हें कलेक्टर द्वारा भविष्य में समाहित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त मानते हुए पृथक चिह्नित किया है।

5. राज्य सरकार द्वारा किसी तत्समय प्रभावशील विभागीय नीति के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ प्राप्त करते हुए जो निवेशक भूमि का आबंटन चाहता है, वह

  
30/5/13

परियोजना का विस्तृत विवरण (**Detailed Project Report- डी.पी.आर.**) पूजी निवेश के प्रस्ताव के साथ विभागीय नीति में घोषित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए संबंधित विभाग को भूमि आबंटन के लिए आवेदन करेगा।

6. आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित विभाग निवेशक के आवेदन और परियोजना विवरण का विधिवत् परीक्षण करेगा। संबंधित विभाग यदि प्रस्तावित परियोजना को विभागीय नीति के अंतर्गत उपयुक्त पाता है तो परियोजना के लिए आवेदित भूमि के सदर्थ में अपनी विभागीय नीति के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक न्यूनतम भूमि का अथवा तत्समय लागू तत्स्थानी विकास योजना (मास्टर प्लान) एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अंतर्गत अनुमत भूमि उपयोग (*land use*) तथा फर्श क्षेत्र अनुपात (*Floor Area Ratio-एफ.ए.आर.*) के पूर्ण उपयोग के आधार पर संभावित ऊर्ध्वाकार (*vertically*) निर्माण को ध्यान में रखते हुए आवश्यक न्यूनतम भूमि का आंकलन करेगा।

7. संबंधित विभाग परीक्षण उपरान्त निवेशक के आवेदन को भूमि आबंटन के लिए उपयुक्तता प्रमाणीकृत करते हुए विभागीय नीति के अंतर्गत भूमि आबंटन के मामले में दी जाने वाली सुविधाओं (जिसमें प्रब्याजि एवं भू-भाटक की देयता में रियायत आदि का स्पष्ट उल्लेख होगा) माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्राप्त करेगा और आगामी माह के प्रथम सप्ताह के भीतर प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगा। माह के द्वितीय सप्ताह के सोमवार और यदि सोमवार अवकाश दिवस है तो आगामी कार्य दिवस को संबंधित कलेक्टर को अग्रेषित करेगा।

8. कलेक्टर सभी विभागों से उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों का परीक्षण करेगा जिनमें प्रमुखतः निम्न बिन्दु शामिल होंगे-

- (1) आवेदित भूमि संबंधी अधिकार अभिलेख जिसमें नोड्यत का उल्लेख भी होगा एवं मानचित्र,
- (2) आवेदित भूमि की उपलब्धता,
- (3) यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र में स्थित है तो विकास योजना में नियत भूमि उपयोग। यदि भूमि विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित है तो

  
30/5/13

आवेदित भूमि उपयोग के लिए उप संचालक, ग्राम तथा नगर निवेश के प्रतिवेदन अनुसार भूमि उपयोग की उपयुक्तता,

- (4) लैण्ड बैंक में अंकित प्रविष्टि के अनुसार आवेदित भूमि कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु (जिस हेतु आबंटन चाहा गया है) आबंटन योग्य है अथवा नहीं,
- (5) मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार आवेदित भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य,
- (6) संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन के अनुसार विभागीय नीति के अनुसार देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक,
- (7) स्थानीय निकाय— नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से परामर्श,
- (8) अन्य विभागों के जिला अधिकारियों से यथा आवश्यक परामर्श,
- (9) भूमि की मौके पर उपलब्धता संबंधी विस्तृत जांच जिसमें अतिकमण आदि का भी उल्लेख होगा,
- (10) अन्य कोई आनुषंगिक विषय।

9. कलेक्टर उपरोक्तानुसार प्रकरण का परीक्षण करके अपना मतांकन अंकित कर स्पष्ट प्रतिवेदन तैयार करेगा। परीक्षण उपरान्त कलेक्टर यदि पाता है कि निवेशक को भूमि आबंटित करने पर विचार किया जा सकता है तो इस आशय की सार्वजनिक सूचना जारी कर न्यूनतम 15 दिवस की अवधि देते हुए आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

10. कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, स्थानीय निकाय— नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर किया जाएगा तथा प्रदेश स्तर के दो समाचार पत्रों में जिनमें से कम से कम एक हिन्दी का होगा, में भी प्रकाशित की जाएगी। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक सूचना कलेक्टर कार्यालय की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।

  
30/5/13

11.(1) कलेक्टर प्रकाशित सार्वजनिक सूचना में नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति या सुझाव (यदि प्राप्त हुए हैं) की समुचित जांच कर निराकरण करेगा और परीक्षण उपरान्त यदि प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करता है तो भूमि आबंटन की आगामी कार्यवाही के लिए अग्रसर होगा।

11.(2) एक ही भूमि या उसके अंशभाग के आबंटन हेतु यदि एक से अधिक विभागों की ओर से आवेदन अग्रेषित होकर कलेक्टर को प्राप्त होते हैं तो उनके संबंध में आपत्ति/सुझाव के निराकरण के पश्चात् कलेक्टर उनमें से किसी एक के चयन के लिए निम्न बिन्दुओं का परीक्षण करेगा:-

- (क) सभी प्राप्त आवेदनों में आकार में सबसे कम भूमि किस आवेदक के द्वारा चाही गयी है;
- (ख) आवेदकों द्वारा किए जा रहे निवेश का आकार क्या है;
- (ग) आवेदक की प्रस्तावित निवेश परियोजनाओं में कितने व्यक्तियों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

उक्त तीन बिन्दुओं का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर कलेक्टर अपने अभिमत के साथ आबंटन के लिए प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कंडिका 14 में विहित प्रावधान अनुसार प्रकरण संप्रेषित करेगा। जिस पर अंतिम निर्णय आबंटन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाएगा।

12.(1) उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर इस प्रकार भूमि का क्षेत्रफल एवं तत्समय बाजार मूल्य आंकलित किए जाने के पश्चात् आबंटन की स्वीकृति पर विचार किया जाएगा। भूमि आबंटन की स्वीकृति की अधिकारिता नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को होगी:-

क	प्रश्नाधीन भूमि का क्षेत्रफल एवं तत्समय बाजार मूल्य	आबंटन स्वीकृति के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(1)	(2)	(3)
1	नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम 4,000 वर्ग मीटर भूमि या नगरेत्तर क्षेत्रों में अधिकतम पाँच हेक्टेयर भूमि जिसका अधिकतम बाजार मूल्य रूपये एक करोड़ है।	कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति
2	जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता से अधिक के मामले में नगरीय क्षेत्रों में अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि या नगरेत्तर क्षेत्रों में अधिकतम दस हेक्टेयर भूमि जिसका अधिकतम मूल्य रूपये पाँच करोड़ है।	समागत्युक्त की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय समिति

  
30/5/13

3	संभाग स्तरीय समिति के क्षेत्राधिकार से अधिक के मामलों में।	राज्य शासन- निवेश संवर्धन पर मन्त्रि- परिषद् समिति
---	--	--

12.(2) कलेक्टर के द्वारा कंडिका 9 के अनुसार प्रतिवेदन तैयार किये जाने के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझावों का कंडिका 11 के अनुसार निराकरण किए जाने के पश्चात् आबंटन के लिए प्रकरण यथास्थिति कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति या संभागायुक्त की अध्यक्षता में गठित संभाग स्तरीय समिति को प्राप्त होने पर समिति द्वारा प्रकरण प्राप्त होने की दिनांक से पन्द्रह दिवस के भीतर निराकरण किया जाएगा।

13. जिला स्तरीय समिति और संभाग स्तरीय समिति निम्नानुसार होगी :-

(1) जिला स्तरीय समिति-

1.कलेक्टर	अध्यक्ष
2.उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	सदस्य
3.जिला पंजीयक, मुद्रांक एवं पंजीयन	सदस्य
4. कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत अथवा संबंधित नगरीय निकाय जहां भूमि स्थित है)	सदस्य
5. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
6. डिप्टी कलेक्टर (नजूल)	सदस्य सचिव

(2) संभाग स्तरीय समिति-

1.संभागायुक्त	अध्यक्ष
2.नगर तथा ग्राम निवेश का संभाग स्तरीय अधिकारी/प्रभ	सदस्य
3.संयुक्त पंजीयक मुद्रांक एवं पंजीयन	सदस्य
4.कार्यपालन अधिकारी (स्थानीयनिकाय) (प्रश्नाधीन भूमि जिसके क्षेत्र में स्थित है)	सदस्य
5.संयुक्त संचालक, उद्योग	सदस्य
6.उपायुक्त (राजस्व)	सदस्य सचिव

14. उपरोक्तानुसार परीक्षण उपरान्त यदि प्रकरण जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है तो जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर जिला स्तरीय समिति भूमि आबंटन का निर्णय ले सकेगी। यदि जिला स्तरीय समिति की अधिकारिता से बाहर का प्रकरण है तो ऐसा प्रकरण कलेक्टर अपनी अनुशंसा के साथ संभाग स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संभागायुक्त को अथवा निवेश संवर्धन पर मन्त्रि-परिषद् समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु राजस्व

  
30/5/13

विभाग को शासन स्तर पर अग्रेषित करेगा, जिस पर यथास्थिति संभाग स्तरीय समिति अथवा "निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति" द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

15. जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर आबंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश कलेक्टर जारी करेगा। इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिये जाने पर आबंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का आदेश संभागायुक्त जारी करेगा और "निवेश संवर्धन पर मंत्रि-परिषद् समिति" द्वारा निर्णय लिए जाने पर राजस्व विभाग आबंटन की स्वीकृति या अस्वीकृति का शासनादेश जारी करेगा।

16.(1) यथास्थिति भूमि आबंटन की स्वीकृति आदेश के अनुपालन में कलेक्टर आबंटिती के पक्ष में अन्य सामान्य शर्तों के साथ-साथ, निम्न शर्तों को जोड़ते हुए तथा संबंधित विभागीय नीति में उल्लेखित शर्तों को अधिरोपित करते हुए स्थायी लीज (पट्टा) निष्पादित करेगा :-

(क) परियोजना, जिसके लिए भूमि आबंटित की गई है, की स्थापना का कार्य आबंटन उपरांत भूमि का आधिपत्य सौंपे जाने की दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रारंभ किया जाएगा तथा तीन वर्ष के भीतर पूर्ण कर परियोजना प्रारंभ की जाएगी।

(ख) आबंटिती द्वारा आबंटित भूमि या उसके किसी भाग को विक्रय, दान, उप पट्टा या अन्यथा अंतरित नहीं किया जाएगा।

(ग) आबंटिती अथवा उसकी सहमति से किसी अन्य द्वारा आबंटित भूमि या उसका कोई भाग राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना बंधक नहीं रखी जाएगी।

उपरोक्त शर्तों का अपालन/उल्लंघन पाए जाने पर आबंटन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

16.(2) ऐसा स्थायी पट्टा प्रथम बार में 30 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जो पट्टावधि के अवसान के एक वर्ष पूर्व आवेदन करने पर नवकरणीय होगा। नवीनीकरण के समय तक यदि पट्टे की शर्तों का पालन पाया जाता है तो कलेक्टर तत्समय प्रवृत्त प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा वार्षिक भू-भाटक में तत्समय प्रवृत्त प्रावधानानुसार अभिवृद्धि करते हुए पट्टे का नवीनीकरण कर सकेगा।

  
30/5/13



17. संबंधित विभाग द्वारा अग्रेषित आवेदन पर यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि आबंटन का निर्णय लिया जाता है तो कलेक्टर स्वीकृति आदेश की एक प्रति के साथ निष्पादित पट्टे की प्रति संबंधित विभाग को प्रेषित करेगा। भूमि आबंटन में दी जाने वाली सुविधाओं/रियायतों के संदर्भ में अधिरोपित शर्तों तथा विभागीय नीति का आबंटिती से पालन कराना सुनिश्चित करने का दायित्व उस सीमा तक, जो संबंधित विभाग द्वारा नीति का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित की गयी हों, संबंधित विभाग का होगा।

18. यथास्थिति कलेक्टर/ संभागायुक्त/ राज्य शासन द्वारा आबंटन की स्वीकृति जारी करने की दिनांक से दो माह की अवधि के भीतर या आगामी 31 मार्च के पूर्व (इनमें से जो पहले हो) आबंटिती द्वारा आबंटन स्वीकृति आदेश के पालन में देय प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक की राशि जमा करना अनिवार्य होगी। इस प्रकार नियत समयावधि के भीतर राशि जमा नहीं करने की दशा में आबंटन की स्वीकृति का आदेश स्वतः समाप्त समझा जाएगा :

परन्तु 31 जनवरी के पश्चात् जारी किए गये आबंटन आदेश के संदर्भ में यदि दो माह की अवधि की अवसान की तिथि 31 मार्च के पश्चात् आती है तो उक्त आबंटन आदेश उस दशा में स्वतः समाप्त नहीं होगा, यदि आबंटिती आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं उस पर देय वार्षिक भू-भाटक ऐसी दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व जमा करता है।

परन्तु यह भी कि आबंटिती द्वारा यथास्थिति 31 मार्च के पूर्व अथवा आबंटन स्वीकृति की दिनांक से दो माह की अवधि के अवसान के पूर्व देय राशि जमा कराने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की जाती है तो युक्तियुक्त आधारों पर अधिकतम एक माह की अतिरिक्त समयावधि यथास्थिति कलेक्टर, संभागायुक्त या राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। इस प्रकार राशि की अदायगी की तिथि के आधार पर संगणित प्रब्याजि एवं वार्षिक भू-भाटक और ऐसी देय राशि पर अतिरिक्त स्वीकृत समयावधि के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।


19. इस परिपत्र के अनुक्रम में यदि भूमि किसी एक प्रयोजन के लिए आबंटित की जाती है और भविष्य में शासन की पूर्वानुमति से किसी अन्य प्रयोजन में उपयोग की जाती है तो ऐसे मामले में तत्समय देय प्रीमियम की संगणना कर, यदि संगणित प्रीमियम की राशि पूर्व में भुगतान किए गये प्रीमियम की राशि से अधिक है तो अंतर

  
20/5/13

की राशि देय होगी, और यदि कम है तो वापिस नहीं की जाएगी। तदनुसार वार्षिक भू-भाटक का पुनर्निर्धारण किया जाएगा जो पट्टे की आगामी अवधि के लिए देय होगा।

20. यह परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक- 1 का अनुलग्न भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(आर.के.चतुर्वेदी)  
प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,  
भोपाल दिनांक 30 मई, 2013

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 16-14/2013/सात-शा.2ए  
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन (समस्त विभाग),
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश,
7. संभागायुक्त (समस्त), मध्यप्रदेश,
8. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर। कृपया परिपत्र की कंडिका 4 के अनुसरण में तैयार किया गया "लेण्ड बैंक" का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित करें तथा नियमित अंतराल में अद्यतन कराएं।
9. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
10. विभागाध्यक्ष (समस्त), मध्यप्रदेश,
11. कलेक्टर (समस्त), मध्यप्रदेश,
12. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया नीति परिपत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
13. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
14. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी. मंत्रालय, भोपाल की ओर भेजकर निर्देशित है कि मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट पर अपलोड करें।
15. विभाग की गार्ड फाईल में मूल प्रति रखी जाए।

  
अध्यक्ष सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग